भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 256
गुरूवार, 08 दिसम्बर, 2022/17 अग्रहायण, 1944 (शक)

देश में बेरोजगार युवाओं की संख्या

256. **डा. कल्पना सैनीः**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान देश में बेरोजगार युवाओं की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किस स्तर तक रोजगार का सृजन किया गया है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान रोजगार कार्यालयों द्वारा बेरोजगार युवाओं को दी गई नौकरियों/रोजगार की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(ड.) सरकार द्वारा देश में बेरोजगार युवाओं को नौकरियां देने/रोजगार सृजन के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) एवं (ख): वर्ष 2017-18 से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा करवाए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से रोजगार और बेरोजगारी पर आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। सर्वेक्षण की अवधि जुलाई से अगले वर्ष जून तक होती है। उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 के दौरान सामान्य स्थिति के आधार पर वर्ष 15-29 आयु के युवाओं की अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) क्रमशः 17.3%, 15.0% एवं 12.9% थी, जो युवाओं के मध्य बेरोजगारी दर की गिरावट की प्रवृत्ति को दर्शाता है। वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 के दौरान सामान्य स्थिति के आधार पर राज्य-वार/संघ राज्य-वार वर्ष 15-29 आयु के युवाओं की अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) अनुबंध- I में दी गई है।

(ग): पीएलएफएस रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण द्वारा अनुमानित कामगारों की क्षेत्रवार संख्या अनुबंध-II में दी गई है।

(घ): राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त उपलब्ध सूचना के अनुसार, रोजगार चाहने वालों (नियोजित/बेरोजगार) जिन्होंने रोजगार कार्यालयों के माध्यम से रोजगार प्राप्त किया, की संख्या अनुबंध-III में दी गई है।

(ङ): नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। भारत सरकार ने व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करने और कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत, सरकार सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। इस पैकेज में, देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई), नए रोजगार का सृजन करने हेतु रोजगार देने वालों को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हुई हानि के प्रतिस्थापन हेतु दिनांक 01 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की थी। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31.03.2022 थी। इस योजना के आरंभ से, दिनांक 28.11.2022 तक, इस योजना के तहत 60.13 लाख लाभार्थियों को 7855.07 करोड़ रुपए का लाभ प्रदान किया गया है।

स्व-रोजगार को सरल बनाने के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की गई थी। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा इसमें और विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का जमानत मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत दिनांक 25.11.2022 तक 37.76 करोड़ ऋण संस्वीकृत किए गए।

वर्ष 2021-22 से शुरू होकर 5 वर्ष की अवधि के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय से उत्पादन-संबंद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं शुरू की गई हैं। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही पीएलआई योजनाओं में 60 लाख नए रोजगार सृजित होने की संभावना है। इन सभी प्रयासों के गुणक-प्रभावों के माध्यम से, सामूहिक रूप से रोजगार का सृजन करने तथा मध्यम से लंबी अवधि में उत्पादन को बढ़ावा मिलने की आशा है।

पीएम गतिशक्ति, आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी एपरोच है। यह एपरोच सात घटकों नामतः सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जन परिवहन, जलमार्ग और लाजिस्टिक बुनियादी ढांचे द्वारा संचालित हैं। यह एपरोच, स्वच्छ ऊर्जा और सबके प्रयास द्वारा संचालित है जिससे सभी के लिए रोजगार और उद्यमशीलता के अत्यधिक अवसर पैदा होंगें।

सरकार दिनांक 01 जून, 2020 से प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वानिधि योजना) का कार्यान्वयन कर रही है ताकि कोविड -19 महामारी के दौरान प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए स्ट्रीट वेंडरों को उनके व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए जमानत मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा मिल सके। दिनांक 11 जुलाई, 2022 तक, इस योजना के तहत 30.26 लाख लाभार्थियों को ₹3,615 करोड़ की राशि के 33.34 लाख ऋण वितरित किए जा चुके हैं।

भारत सरकार, पर्याप्त निवेश और सार्वजनिक व्यय वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है और जिसमें रोजगार सृजन हेतु, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), और दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) आदि जैसी योजनाएं शामिल हैं।

इसके साथ-साथ, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई), युवाओं की नियोजनीयता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) का कार्यान्वयन कर रहा है।

इन प्रयासों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन, सब के लिए आवास जैसे सरकार के विभिन्न फ्लैगशीप कार्यक्रम भी रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए ही है।

*****

अनुबंध-I

राज्य सभा के दिनांक 08.12.2022 के अतारांकित प्रश्न संख्या 256 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

सामान्य स्थिति दृष्टिकोण के अनुसार 15 -29 वर्ष की आयु के व्यक्तियों की बेरोजगारी दर (यूआर) का राज्य/संघ राज्य-वार ब्यौरा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बेरोजगारी दर (% में)		
	2018-19	**2019-20**	**2020-21**
आंध्र प्रदेश	18.9	17.1	15.3
अरुणाचल प्रदेश	33.1	23.8	21.9
असम	23.5	27.5	16.1
बिहार	30.9	17.6	17.0
छत्तीसगढ	9.0	10.1	7.5
दिल्ली	22.5	22.5	15.9
गोवा	24.2	25.1	25.8
गुजरात	8.4	5.8	5.5
हरियाणा	22.1	17.6	15.3
हिमाचल प्रदेश	18.8	13.0	12.8
झारखंड	14.0	11.6	7.9
कर्नाटक	11.8	14.1	8.8
केरल	35.2	35.4	33.7
मध्य प्रदेश	10.4	8.4	5.6
महाराष्ट्र	14.9	10.6	11.6
मणिपुर	32.8	33.1	21.8
मेघालय	8.9	8.9	5.3
मिजोरम	23.1	20.2	14.4
नागालैंड	59.6	70.1	55.2
ओडिशा	22.8	19.6	16.9
पंजाब	21.0	18.7	18.8
राजस्थान	16.6	13.1	13.4
सिक्किम	10.7	7.2	4.4
तमिलनाडु	24.0	20.9	20.4
तेलंगाना	27.4	24.2	16.1
त्रिपुरा	30.7	10.8	12.1
उत्तराखंड	23.5	19.7	21.0
उत्तर प्रदेश	15.0	12.6	11.6
पश्चिम बंगाल	11.1	14.2	11.1
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	33.9	34.2	26.3
चंडीगढ़	18.2	12.3	16.5
दादर और नगर हवेली	3.7	6.1	12.1
दमन और दीव	0.1	6.2	-
जम्मू और कश्मीर	13.8	18.3	18.3
लद्दाख	-	0.0	42.3
लक्षद्वीप	70.3	36.2	47.6
पुदुचेरी	25.1	28.7	25.6
अखिल भारत	**17.3**	**15.0**	**12.9**

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई

अनुबंध-II

राज्य सभा के दिनांक 08.12.2022 के अतारांकित प्रश्न संख्या 256 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

व्यापक उद्योग प्रभाग (सभी उम्र के लिए) के अनुसार सामान्य स्थिति में कामगारों की अनुमानित संख्या

(करोड़ में)

एनआईसी 2008 के अनुसार व्यापक उद्योग प्रभाग	2017-18	2018-19	2019-20
कृषि	20.03	19.86	23.27
खनन और उत्खनन	0.19	0.20	0.15
विनिर्माण	5.70	6.12	6.24
विद्युत, जल आदि	0.28	0.28	0.35
निर्माण	5.70	5.86	6.22
व्यापार, होटल और रेस्तरां	5.94	6.39	7.47
परिवहन, भंडारण और संचार	2.78	2.99	3.15
अन्य सेवाएं	6.51	7.05	6.71
योग	**47.14**	**48.76**	**53.55**

स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22

अनुबंध- III

राज्य सभा के दिनांक 08.12.2022 के अतारांकित प्रश्न संख्या 256 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

उपलब्ध सीमा तक देश में उन नौकरी चाहने वालों जिन्होंने रोजगार कार्यालयों के माध्यम से नियुक्ति पाई है, की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या।

(संख्या हजार में)

		नियोजित		
क्र.सं.	राज्यसंघ राज्य क्षेत्र/	2019	2020	2021
1	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.98
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00
3	असम	0.00	0.9	0.61
4	बिहार	0.00	0.00	0.00
5	छत्तीसगढ	0.2	4.7	2.95
6	दिल्ली	0.00	0.00	0.00
7	गोवा	0.00	0.00	0.00
8	गुजरात	341.2	232.4	270.2
9	हरियाणा	0.2	0.5	15.3
10	हिमाचल प्रदेश	0.1	0.6	1.37
11	जम्मू और कश्मीर	0.3	0.8	0.92
12	झारखंड	0.1	0.6	0.42
13	कर्नाटक	0.3	0.4	0.54
14	केरल	2.2	3.8	9.5
15	मध्य प्रदेश	0.4	0.0	0.0
16	महाराष्ट्र	17.8	56.2	170.0
17	मणिपुर	0.00	0.00	0.00
18	मेघालय	0.00	0.00	0.00
19	मिजोरम	0.00	0.00	0.00
20	नागालैंड	0.00	0.00	0.00
21	ओडिशा	0.6	0.00	0.00
22	पंजाब	0.1	1.0	0.13
23	राजस्थान	0.00	0.00	0.00
24	तमिलनाडु	2.3	1.3	2.0
25	तेलंगाना	0.00	0.1	1.7
26	त्रिपुरा	0.00	0.2	0.0
27	उत्तराखंड	0.00	0.00	0.58
28	उत्तर प्रदेश	0.2	4.0	0.17
29	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00
31	चंडीगढ़	0.1	0.6	0.00
32	दादार एवं नगर हवेली	0.00	0.00	0.00
33	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00
34	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00
35	पुदुचेरी	0.00	0.00	0.00
36	लद्दाख	0.00	0.00	0.00
	योग	365.8	308.1	494.1

हो सकता है पूर्णांकन के कारण आंकड़े योग से मेल न खाएं।

स्रोत: रोजगार महानिदेशालय द्वारा संकलित रोजगार कार्यालय सांख्यिकी,

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय-राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के आधार पर।

टिप्पणी: डेटा में राउंडिंग ऑफ के मामले भी शामिल हैं, साथ ही जहां राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार से कोई डेटा प्राप्त नहीं हुआ है।